

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक: 1467 / 14-1 दिनांक, हापुड़ 15 नवम्बर, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अपर गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/39999/2019)।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०-848/11-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक 25.10.2019।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

हापुड़ वन प्रभाग

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर सूची संलग्न है।
2	प्रस्ताव में ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न नहीं की गई है।	ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोग्राफी मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोग्राफी मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।
4	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु मुहर अंकित नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र मुहर सहित संलग्न है।
5	प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न नहीं है। अतः भाग-4 व भाग-5 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न है।
6	ऑन लाइन भाग-2 क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑन लाइन भाग-2 क्रमांक-5 में डाटा सही कर फीड कर दिया गया है।
7	गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर सत्यापित संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न है।
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु टोपोग्राफी मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोग्राफी मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।

गाजियाबाद वन प्रभाग

1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर सूची संलग्न है।
2	प्रस्ताव में ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न नहीं की गई है।	ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है।

3	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोग्राफी मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोग्राफी मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।
4	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु मुहर अंकित नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र मुहर सहित संलग्न है।
5	प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न नहीं है। अतः भाग-4 व भाग-5 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न है।
6	ऑन लाइन भाग-2 क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑन लाइन भाग-2 क्रमांक-5 में डाटा सही कर फीड कर दिया गया है।
7	गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर सत्यापित संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़

पत्रांक : / दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़